भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन

....

सार्वजनिक सुचना

सरकार के संज्ञान में यह लाया गया है कि गलत एलान करके विदेशी मूल की आतिशबाजियों का अवैध रूप से भारत में आयात किया गया था । एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आईटीसी (एचएस) के अन्तर्गत भारत में आयात के संम्बन्ध में आतिशबाजी को प्रतिबन्धित वस्तु घोषित कर दिया गया है । पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत आज तक, आतिशबाजी को कब्जे में रखने एंव / अथवा विक्रय हेतु आयात के लिए कोई अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई है ।

तस्करी कर लाए गए विदेशी मूल के आतिशबाजियों में 'पोटेशियम क्लोरेट' शामिल हैं जो एक खतरनाक और परिसंकटमय रसायन है जिसमें अचानक आग लग सकती है या आसानी से विस्फोट हो सकता हैं । देश में पर्यावरण और स्वास्थ्य के कई मुद्दों को प्रभावित करने के अलावा इन आतिशबाजियों के कारण गंभीर दुर्घटनाए एंव जान को खतरा हो सकता है ।

जन जीवन एंव माल की सुरक्षा एंव बचाव के हित में सामान्य जन एंव हितधारको को सूचित किया जाता है कि ऐसी आतिशबाजियों को कब्जे में रखने एंव/अथवा विक्रय संम्बन्धी सूचना, उचित कारवाई हेतु जिला प्राधिकारी या निकटतम पुलिस स्टेशन में दी जाए ।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक